

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 7(31)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 01/04/19

श्री मुरलीधर धाकड़ पुत्र श्री कन्हैयालाल धाकड़,
मु0पो0-मेघनिवास, तहसील-रावतभाटा,
जिला चित्तौड़गढ़, पिन-323304

विषय:- कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु प्रदत्त समय में शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.03.19 द्वारा आपको कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक क्रम संख्या -1 चित्तौड़गढ़, में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाकर 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा किसी कारणवश 07 दिवस के भीतर कार्यभार संभालने में असमर्थता होने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुये इस विभाग को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में आप द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर अपना कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को दिनांक 30.06.19 तक माह बढ़ाये जाने हेतु सन्दर्भित अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भित अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र के क्रम में आपको कार्यग्रहण करने हेतु दी गयी 07 दिवस की अवधि में शिथिलन/छूट प्रदान करते हुये, निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के आदेश दिनांक 03.03.19 की पालना में दिनांक 30.06.19 तक कार्यग्रहण करें। कार्यग्रहण नहीं करने की सूरत में यह मानते हुये कि आप इस नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को लौटा दिया जावेगा।

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि।
2. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
3. कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़।
4. अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 1 चित्तौड़गढ़।
5. लेखाधिकारी वादकरण।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण